न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 87/2022

अनवान : —

1. रिछपाल पुत्र धौकलराम जाति बिश्नोई निवासी 7 केएसपर त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम्

1. उदयपाल पुत्र श्री धौकलराम जाति बिश्नोई निवासी 7 के एसपी त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

उपस्थिति :— श्री अनिल सिडाना प्रार्थी अधिवक्ता
एस जोईया अधिवक्ता अप्रार्थी

10/10/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है यह कि उपरोक्त अनवान का वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमें प्रार्थी को सफल होने की पूर्ण आशा है । यह कि अप्रार्थी संख्या—1 के नाम से चक न. 9 के एस पी जमाबन्दी सम्वत 2075—78 खाता संख्या—94/70 प0न0 166/308. मु0न0 56 कि0न0 9,10 प्रत्येक सालम कुल तादादी 0.506 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है छायाप्रति संलग्न प्रार्थनापत्र है । तहसील सादुलशहर के अधिनस्थ चक न. 13 के एस डी जमाबन्दी सम्वत 2071—74 खाता संख्या — 47 / 4 में मिन प्रार्थी के नाम दर्ज 2.560 है० कृषि भूमि जरिये 2019 संख्या—313 व नामान्तकरण संख्या — 313 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.03. दिनांक 09.04.2019 अप्रार्थी संख्या — 1 को प्राप्त हो चुकी है । छायाप्रति वादपत्र न्यायालय उपखंड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर व निर्णय एंव डिक्री दिनांक 22.03. 2019 सलंग्न प्रार्थनापत्र है । व घरा—घरू बंटवारा में चक न. 9 के एस पी व 10 के एस पी में दर्ज कृषि भूमि मिन प्रार्थी को प्राप्त होनी थी लेकिन प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि गैर खातेदारी होने के कारण मिन प्रार्थी के नाम दर्ज नही हो सकी दिनांक 12.07.2022 को प्रार्थनापत्र की चरण संख्या — 2 मे वर्णित राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज हो चुकी है जिसे प्रार्थी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या — 2 मे वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संपति है जो कि घरा—घरू बंटवारा में मिन प्रार्थी को प्राप्त हुई है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या — 2 मे वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रहने से मिन प्रार्थी को पानी की बारी की रकम अदायगी, बैक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओ का लाभ लेने मे काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है। अब अप्रार्थी संख्या—1 के मन मे बेजा लालच की भावना आ गई है व अप्रार्थी संख्या — 1 प्रार्थनापत्र की चरण संख्या — 2 मे वर्णित कृषि भूमि अन्य दीगर व्यक्तियो को बेचान करने पर उतारू है जिस कारण प्रार्थी अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि को शान्तिपूर्वक काश्त करने मे असमर्थ है इसलिए मिन प्रार्थी अपने हक व हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा प्राप्त कर उक्त खाता से अप्रार्थी संख्या—1 का नाम कलमजन करवाने का कानूनन अधिकारी है । यह कि मिन प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या — 1 से कई बार निवेदन किया कि वह प्रार्थनापत्र की चरण संख्या—2 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित करवा देवे। लेकिन अप्रार्थी संख्या—1 प्रार्थी के निवेदन को मानने से कतई इन्कार हो गया यह कि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है, अगर अप्रार्थी संख्या—1 अपने उक्त गलत कृत्य में सफल हो गया तो प्रार्थी को अपरिमेय क्षति होगी एवं प्रार्थी अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो जावेगा । प्रार्थना प्रार्थी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है एवं पूर्ण न्यायशुल्क पर अन्दरमियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला दावा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमाई जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थनापत्र की चरण संख्या—2 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी के कब्जाकाश्त में हस्तक्षेप करने से निषेध रहे व प्रार्थनापत्र की चरण संख्या—2 में वर्णित कृषि भूमि को रहन, बैय व अन्य प्रकार से अन्तरित करने से निषेध रहे ।

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल के बाद अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया दरख्वास्त की दफा 1 में वर्णित उपरोक्त अनवान का याद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होने का कथन स्वीकार है लेकिन वादी द्वारा पेश याद पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश होने तथा विधि बाधित होने के कारण प्रथम दृष्टया ही काबिल खारिजी के है । प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी मुताबिक राजस्व अभिलेख मुझ अप्रार्थी के नाम से दर्ज होने का कथन स्वीकार है । प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन कि "तहसील 13 के. एस. डी. जमाबंदी सम्वत सादुलशहर के अधिनस्थ चक 2071–2074 खाता संख्या 47/4 में मिन प्रार्थी के नाम से दर्ज 2.560 है0 कृषि भूमि जरिये निर्णय व डिक्री दिनांक 22.03.2019 व नामान्तकरण संख्या 313 दिनांक 09.04.2019 अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त हो चुकी है" का कथन स्वीकार है बाकी कथन कतई गलत, असत्य व मनघड़त होने के कारण स्वीकार नही । मुताबिक बंटवारा मुझ अप्रार्थी के नाम से दर्ज चक 9 व 10 के.एस.पी. की आराजी डिक्री दिनांक 22.03.2019 से पूर्व प्रार्थी रिछपाल के नाम से दर्ज हो चुकी थी। मुकदमा हाजा में वर्णित आराजी मुझ अप्रार्थी की खरीदशुदा आराजी है जिस पर अप्रार्थी खरीद के वक्त से ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी काशीराम वल्द लिखमाराम को आंवटित आराजी थी तथा काशीराम ने विवादित आराजी की खातेदारी सनद जारी करवाने से पूर्व ही मुझ अप्रार्थी को बैचान कर दी इसलिए उपरोक्त अपर जिला कलक्टर आराजी से संम्बधित माननीय न्यायालय हनुमानगढ में धारा 13 ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 41/2006 सरकार बनाम बअनवानी काशीराम–उदयपाल आदि के नाम से चला जिसमे मुझ अप्रार्थी द्वारा कम्पाउडिंग फीस 3000/– रुपये तथा ब्याज की राशि 10500/– रुपये जमा करवाये जाने पर कार्यवाही ड्राप की गई । श्रीमान उपखण्ड अधिकारी टिब्बी द्वारा विवादित आराजी की सनद खातेदारी मुझ अप्रार्थी के पक्ष में जारी की गई। विवादित आराजी संयुक्त परिवार की संपति न होकर मुझ अप्रार्थी की खरीदशुदा खातेदारी आराजी है, जिस पर अप्रार्थी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है जिसमें प्रार्थी का किसी प्रकार से कोई हक व अधिकार नही है । प्रार्थना पत्र की 4 में दर्ज कथन कि " प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी अप्रार्थी के नाम से दर्ज रहने से मिन प्रार्थी की पानी की बारी की रकम अदायगी, बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओ का लाभ लेने में काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है, अब अप्रार्थी के मन में बेजा लालच की भावना आ गई है व अप्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि अन्य दीगर व्यक्तियो को बेचान करने पर उतारु है, जिस कारण प्रार्थी अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि को शांन्तिपूर्वक काश्त करने में असमर्थ है " का कथन कतई गलत, असत्य व मनघड़त दर्ज होने के कारण स्वीकार नही । विवादित आराजी मुझ अप्रार्थी की खरीदशुदा खातेदारी आराजी है जिस पर अप्रार्थी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है जिसमे प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नही है इसलिए प्रार्थी विवादित आराजी बाबत किसी प्रकार की घोषणा पाने का अधिकारी व दावेदार नही है। प्रार्थी को मुझ अप्रार्थी के खिलाफ कोई वाद कारण हासिल नही है। मुकदमाहाजा में वर्णित आराजी मुझ अप्रार्थी की खरीदशुदा खातेदारी आराजी है जिस पर अप्रार्थी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है लेकिन प्रार्थी ने अदालतहाजा के समक्ष गलत तथ्य पेश कर एकपक्षीय स्थगन आदेश हासिल किया है जबकि कानूनन किसी अभिलिखित खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती । अदालतहाजा द्वारा जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश की वजह से अप्रार्थी अपने विधिक व खातेदारी अधिकारो से महरूम रह रहा है, अप्रार्थी विवादित आराजी का अभिलिखित खातेदार है, अतः प्रथमदृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन मुझ अप्रार्थी के पक्ष में है । अदालतहाजा द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद स्थाई किया जाता है तो अप्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। ताईद में हल्फनामा पेश है । प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित कथन गलत दर्ज होने के कारण स्वीकार नही । लिहाजा जवाब दरख्वास्त पेश कर निवेदन है प्रार्थना पत्र प्रार्थी 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निरस्त फरमाया जाकर अदालतहाजा द्वारा जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2014 (2) पेज न0 1301, आरआरटी 2006–07 पेज न0 368, आरआरटी 2009.2 पेज न0 1398 आरआरटी 2016.2 पेज न0 1323 आरआरटी 2015 (1) पेज न0 633 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 212 आरटीए को हम अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा का अधिकार प्राप्त है चूंकि हस्तगत प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर है कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र 212 आरटीए पारिवारीक समझौते के आधार पर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण वाद भूमि का रिकोर्डेड खातेदार है। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी की स्वअर्जित आराजी है। प्रार्थी द्वारा वाद भूमि में अपने हकों की घोषणा के लिए अन्तर्गत धारा 88–188 आरटीए राजस्व वाद न्यायालय में जैरकार है जिसमें साक्ष्य–सबूत व तनकी आदि लेखबद्व के बाद ही प्रार्थी को उक्त समझौता के आधार पर अपना वाद साबित करना है। न्यायालय के अभिमत में हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रार्थी को रिकोर्डेड टिनेंट के खिलाफ अनुतोष देय नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में व विरूद्व प्रार्थी साबित है।

2 सुविधा का संतुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि प्रस्तुत दस्तावेजों से यह साबित है कि वाद भूमि अप्रार्थी द्वारा खरीद की गई है और अप्रार्थी सं0 1 वर्तमान में रिकोर्डेड खातेदार है। अप्रार्थी जो वाद भूमि का रिकोर्डेड खातेदार है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार प्रभावित होने की पूरी–पूरी संभावना है। अतः सुविधा का संतुलन बिन्दू भी अप्रार्थीगण के पक्ष व विरूद्व प्रार्थी साबित है।

3 अपूर्णीय क्षति :– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में अपूर्णीय क्षति के बिन्दू से तात्पर्य यह है कि यदि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने हकों की घोषणा के लिए अन्तर्गत धारा 88–188 आरटीए के तहत वाद जैरकार है जिसमें गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना है। अस्थाई निषेधाज्ञा के उपरोक्त प्रथम दृष्टया व सुविधा का सन्तुलन बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हिस्सा पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उनके नियमित उपयोग–उपभोग में परेशानीयों के कारण अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति की संभावना है। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में व प्रार्थी के विरूद्व साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू अप्रार्थी के पक्ष में व विरूद्व प्रार्थी साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीए साबित नहीं होने के कारण खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner